हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत आम निर्वाचन 2021–22

1. सामान्य जानकारी :–

- त्रिस्तरीय पंचायतों के विगत आम निर्वाचन वर्ष 2014–15 में सम्पन्न हुए थे। उक्त निर्वाचन में 841 जिला पंचायत सदस्य, 6,774 जनपद पंचायत सदस्य, 22,604 सरपंच तथा 3,60,847 पंच पद हेतु निर्वाचन करवाए गये थे। इनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है।
- मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक–14 सन् 2021 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 2021 के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित कर मध्यप्रदेश पंचायत पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में धारा–9क अंतःस्थापित किया गया है। तदानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया की जा रही है।

2. पदों की संख्या :–

- मार्च 2022 तक कार्यकाल पूर्ण करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के निम्नानुसार पद रिक्त हैं :–
  - जिला पंचायत सदस्य (52 जिले) – 859
  - जनपद पंचायत सदस्य (313 जनपद) – 6,727
  - सरपंच (22,581 ग्राम पंचायत) – 22,581
  - पंच (22,581 ग्राम पंचायत) – 3,62,754

  अतः इन पदों की पूर्ति कराए जाने हेतु आयोग द्वारा आम निर्वाचन 2021–22 कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश की कुल 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूर्ण होगा। अतः उक्त पंचायतों में पंच एवं सरपंच का निर्वाचन पृथक से सम्पन्न कराया जायेगा, किन्तु इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन सम्पन्न होगा।

3. निर्वाचन कार्यक्रम :–

- त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021–22 तीन चरणों में सम्पन्न होंगे। **निर्वाचन कार्यक्रम एवं विकासखण्डों की चरणवार जानकारी संलग्न है।**

चरणवार क्षेत्र विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	चरण	जनपद पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या
1	प्रथम	85	6,283	19,998
2	द्वितीय	110	8,015	24,840
3	तृतीय	118	8,397	26,560
योग		**313**	**22,695**	**71,398**

जिलेवार चरणों की संख्या निम्नानुसार है

- एक चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 09
- दो चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 07
- तीन चरण में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले जिलों की संख्या – 36

4. मतदाता सूची :–

- 01.01.2021 की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 03 मार्च 2021 को हो चुका है। अद्यतन मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 3,92,51,811 मतदाता है।
  - पुरूष मतदाता – 2,02,30,095
  - महिला मतदाता – 1,90,20,672
  - अन्य मतदाता – 1044

5. मतदान केन्द्र :–

- प्रदेश में कुल 71,398 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- इनमें से 3,095 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है।

6. मतदान दल :–

- निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 4.25 लाख मतदान कर्मी नियुक्त किये जायेंगे।
- मतदान केन्द्रों पर नियोजित किये जाने हेतु कर्मचारियों का जिलेवार डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं 04 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे।
- 750 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त मतदानकर्मी की नियुक्ति की जावेगी।
- पंचायत निर्वाचन हेतु जिस विकासखण्ड में निर्वाचन सम्पन्न होगा, जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखण्ड के कर्मचारी रेण्डमाईज़ेशन पद्धति से नियोजित किये जायेंगे।

- कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रेण्डमाईज़ेशन का समय मतदान प्रारम्भ होने से 24 घण्टे के पूर्व के स्थान पर 48 घण्टे पूर्व किया गया है।

7. <u>मतदान</u> :–

- पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सम्पन्न होगा।
- पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ई.व्ही.एम. के माध्यम से सम्पन्न होगा।
- निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग निम्नानुसार निर्धारित है :–

जिला पंचायत सदस्य	–	गुलाबी
जनपद पंचायत सदस्य	–	पीला
सरपंच	–	नीला
पंच	–	सफेद

- समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा।
- मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।

8. <u>मतगणना, सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा</u> :–

- पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र पर ही की जायेगी।
- जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ई.व्ही.एम. से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
- पंच/सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
- जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
- जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी।

9. ई.व्ही.एम. प्रबंधन :–

- पंचायत आम निर्वाचन हेतु प्रदेश में कुल 55,000 ई.व्ही.एम. उपलब्ध है।
- विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ई.व्ही.एम. की संख्या (रिज़र्व सहित) निम्नानुसार है :–

क्रमांक	चरण	ई.व्ही.एम. की संख्या
1	प्रथम	26,910
2	द्वितीय	33,657
3	तृतीय	35,797

- प्रत्येक विकासखण्ड में रिज़र्व ई.व्ही.एम. की संख्या उस विकासखण्ड में सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर होगी।
- आयोग द्वारा प्रयुक्त ई.व्ही.एम. में मतदान का डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु डी.एम.एम. (Detachable Memory Module) का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक चरण की मतगणना के उपरांत प्रयुक्त ई.व्ही.एम. में से डी.एम.एम. को पृथक कर सीलबंद किया जाकर सुरक्षित रखा जाता है तथा ई.व्ही.एम. को अगले चरण के उपयोग के लिए मुक्त किया जाता है।
- एक चरण में उपयोग कर मुक्त की गई ई.व्ही.एम. FLC (First Level Check) उपरांत निर्वाचन के अगले चरण में उपयोग की जायेगी।

10. नामनिर्देशन पत्र की व्यवस्था :–

- त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों यथा पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नामनिर्देशन पत्र (प्ररूप–4) की व्यवस्था की गई है।
- जिला पंचायत सदस्य हेतु नामनिर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु विकासखण्ड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिये जायेंगे।
- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर क्लस्टर बनाया जायेगा।
- नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करना होगी :–

जिला पंचायत सदस्य	–	रूपये 8000/–
जनपद पंचायत सदस्य	–	रूपये 4000/–
ग्राम पंचायत सरपंच	–	रूपये 2000/–
पंच	–	रूपये 400/–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
- पंच पद हेतु नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में घोषणापत्र प्रस्तुत करना है, शेष पदों – सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामनिर्देशन प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
- नामांकन के प्रयोजन के लिये वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है।

11. सूचना प्रोद्यौगिकी (IT) का उपयोग :–

- निर्वाचन में सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग किया जायेगा।
- जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन हेतु OLIN (Online Nomination) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप/डेस्कटॉप से या सायबर कैफे/MP-Online कियोस्क/लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नामनिर्देशन पत्र भर सकता है।
- OLIN के माध्यम से भरे गये नामनिर्देशन पत्र की हार्डकॉपी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- OLIN हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में हैल्पडेस्क/सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- निर्वाचन हेतु मतदान दल एवं मतगणना दल गठन NIC द्वारा विकसित CEMS (Common Election Management System) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
- मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर अथवा "चुनाव" मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

12. सुरक्षा प्रबंध :–

- स्ट्रांग रूम, मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
- पंचायत निर्वाचन 2021–22 में सम्पूर्ण प्रदेश में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या :–
  - संवेदनशील मतदान केन्द्र – 15863
  - अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र – 6233

- शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जायेगी।

13. शिकायत निवारण :–

- निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755–2551076 है।
- जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय कंट्रोलरूम स्थापित किये जा रहे है।

14. प्रेक्षक :–

- निर्वाचन के पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रेक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं।

15. मतदाता जागरूकता :–

- मतदाता जागरूकता हेतु SENSE (Systematic Education Nurturing Sensitization Electorate) से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
- मतदाताओं को ई.व्ही.एम. की कार्यप्रणाली से अवगत करवाते हुए अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
- मतदान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव हेतु आयोग द्वारा किये गये प्रबंध की जानकारी भी मतदाताओं को दी जा रही है।

16. आदर्श आचरण संहिता :–

- निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने सम्बंधी घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।
- आर्दश आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर सम्पादित हो रहे हैं, परन्तु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

17. चुनाव प्रचार :–

- निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा/रैली/ जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

- मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
- अभ्यर्थी को प्रचार–प्रसार के दौरान कोविड गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. कोविड से बचाव हेतु प्रबंध :–

- आयोग द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत गाईड लाईन जारी की गई है।
- कोविड संक्रमण से बचाव हेतु मतदान दल के सदस्यों को मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सेनेटाईज़र दिया जायेगा।
- मतदाताओं के मतदान केन्द्र पर प्रवेश के पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन–पानी तथा सेनेटाईज़र की व्यवस्था होगी एवं मतदान के दौरान प्रयोग हेतु ग्लव्स प्रदान किया जायेगा।
- कोविड संक्रमित मतदाता, मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की निगरानी में मतदान कर सकेंगे।
- कोविड संक्रमण से सुरक्षा हेतु सलाह देने के लिये संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

_*_*_*_

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021–22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम (समय–अनुसूची)

स. क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तारीख़/दिन			समय
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करना (ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन (iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	13.12.2021 (सोमवार)	13.12.2021 (सोमवार)	30.12.2021 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	20.12.2021 (सोमवार)	20.12.2021 (सोमवार)	06.01.2022 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21.12.2021 (मंगलवार)	21.12.2021 (मंगलवार)	07.01.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	23.12.2021 (गुरुवार)	23.12.2021 (गुरुवार)	10.01.2022 (सोमवार)	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	23.12.2021 (गुरुवार)	23.12.2021 (गुरुवार)	10.01.2022 (सोमवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	06.01.2022 (गुरूवार)	28.01.2022 (शुक्रवार)	16.02.2022 (बुधवार)	प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा				
	(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच/सरपंच पद के लिए)	06.01.2022 (गुरूवार)	28.01.2022 (शुक्रवार)	16.02.2022 (बुधवार	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
	(ii) जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना	10.01.2022 (सोमवार)	01.02.2022 (मंगलवार)	20.02.2022 (रविवार)	प्रातः 8.00 बजे से
	(iii) पंच/सरपंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा (iv) पंच/सरपंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	11.01.2022 (मंगलवार)	02.02.2022 (बुधवार)	21.02.2022 (सोमवार)	प्रातः 10.30 बजे से
	(v) जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा। (vi) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण	22.02.2022 (मंगलवार)	22.02.2022 (मंगलवार)	22.02.2022 (मंगलवार)	प्रातः 10.30 बजे से
	(vii) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	23.02.2022 (बुधवार)	23.02.2022 (बुधवार)	23.02.2022 (बुधवार)	प्रातः 10.30 बजे से

—*—*—*—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन (2021–22)
चरणवार निर्वाचन की जानकारी

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5

भोपाल संभाग

1	भोपाल	फंदा	निरंक	निरंक
		बैरसिया		
2	राजगढ़	ब्यावरा	जीरापुर	नरसिंहगढ़
		राजगढ़	खिलचीपुर	सांरगपुर
3	रायसेन	सांची	बाड़ी	उदयपुरा
		सिलवानी	औबेदुल्लागंज	बैगमगंज
				गैरतगंज
4	सीहोर	सीहोर	नसरूल्लागंज	आष्टा
			इछावर	बुदनी
5	विदिशा	बासोदा	कुरवाई	सिरोंज
		विदिशा	ग्यारसपुर	नटेरन
				लटेरी

इंदौर संभाग

6	इंदौर	सावेर	निरंक	निरंक
		इंदौर		
		देपालपुर		
		डॉ.अम्बे.(महू)		
7	खरगौन	बड़वाह	कसरावद	भीकनगांव
		महेश्वर	झिरन्या	भगवानपुरा
			खरगौन	गोगांवा
				सेगांव
8	खण्डवा	पुनासा	खालवा	पंधाना
		हरसूद	खण्डवा	छैगावंमाखन
		बलड़ी (किल्लोद)		
9	धार	नालछा	बदनावर	सरदारपुर
		गंधवानी	तिरला	बाग
		मनावर	उमरबन(बाकानेर)	निसरपुर
		धरमपुरी	धार	डही
			कुक्षी	

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
10	झाबुआ	पेटलावद	थांदला	झाबुआ
			मेघनगर	रानापुर
				रामा
11	बुरहानपुर	निरंक	खकनार	बुरहानपुर
12	अलीराजपुर	निरंक	निरंक	सोण्डवा
				अलीराजपुर
				चंद्र.आ. नगर (भावरा)
				कट्ठिवाड़ा
				उदयगढ़
				जोबट
13	बड़वानी	राजपुर	बड़वानी	सेंधवा
		ठीकरी	पानसेमल	पाटी
			निवाली	

ग्वालियर संभाग

14	ग्वालियर	मुरार	निरंक	निरंक
		भितरवार		
		घाटीगांव		
		डबरा		
15	गुना	गुना	राघौगढ़	चांचौड़ा
			आरोंन	बमोरी
16	शिवपुरी	खनियाधाना	पिछोर	पोहरी
		बदरवास	नरवर	करेरा
			कोलारस	शिवपुरी
17	अशोकनगर	अशोकनगर	ईसागढ़	मुंगावली
				चंदेरी
18	दतिया	निरंक	दतिया	निरंक
			सेवडा	
			माण्डेर	

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		जबलपुर संभाग		
19	जबलपुर	सिहोरा	मझौली	निरंक
		कुण्डम	पाटन	
		पनागर	शाहपुरा	
		जबलपुर(बरगी)		
20	छिन्दवाड़ा	तामिया	सोसर	छिन्दवाड़ा
		हर्रई	पाढुरना	मोहखेड़ा
		अमरबाड़ा	परासिया	जुनारदेव
				चौरई
				बिछुआ
21	सिवनी	सिवनी	लखनादौन	केवलारी
		बरघाट	धंसौर (कहानापस)	छपारा
			धनोरा	कुरई
22	बालाघाट	बेहर	लांजी	बालाघाट
		परसवाड़ा	किरनापुर	लालबर्रा
		बारासिवनी	कटंगी	बिरसा
		खेरलांजी		
23	मण्डला	नारायणगंज	घुघरी	बिछिया
		निवास	मौहगांव	मवई
		बीजाडांडी	मण्डला	नैनपुर
24	डिण्डौरी	शहपुरा	डिण्डौरी	समनापुर
		मेंहदवानी	अमरपुर	बजाग
				कंरजिया
25	नरसिंहपुर	निरंक	नरसिंहपुर	निरंक
			गोटेगांव	
			करेली	
			चावरपाठा	
			बाबई चीचली	
			साईखेड़ा	
26	कटनी	बहोरीबंद	बड़वाड़ा	विजयराघवगढ़
		रीठी	कटनी	ढ़ीमडखेड़ा

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5

उज्जैन संभाग

27	उज्जैन	खाचरौद	बड़नगर	महिदपुर
		घट्टिया	उज्जैन	तराना
28	नीमच	नीमच	जावद	मनासा
29	रतलाम	आलोट	बाजना	रतलाम
			सैलाना	जावरा
				पिपलोदा
30	शाजापुर	शाजापुर	मोमन बडोदिया	शुजालपुर
				कालापीपल
31	आगरमालवा	आगर	बड़ौद	सुसनेर
				नलखेड़ा
32	मंदसौर	मंदसौर	सीतामऊ	गरोठ
			भानपुरा	मल्हारगढ़
33	देवास	निरंक	देवास	बागली
			टोंकखुर्द	कन्नौद
			सोनकच्छ	खातेगांव

सागर संभाग

34	सागर	सागर	मालथौन	राहतगढ़
		रेहली	बण्डा	खुरई
		कैसली	देवरी	शाहगढ़
			बीना	जैसीनगर
35	छतरपुर	छतरपुर	बड़ामलहरा	नौगांव
		राजनगर	बकस्वाहा	लवकुशनगर
			बारीगढ़ (गौरीहार)	बिजावर
36	दमोह	जवेरा	दमोह	तेदुखेड़ा
		पथरियां	बटियांगढ़	हटा
				पटेरा
37	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	टीकमगढ़	जतारा
			पलेरा	
38	निवाड़ी	निरंक	निरंक	पृथ्वीपुर
				निवाड़ी

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5
39	पन्ना	निरंक	गुन्नौर	निरंक
			पन्ना	
			पवई	
			शाहनगर	
			अजयगढ़	

रीवा संभाग

40	रीवा	हनुमना	रीवा	सिरमौर
		मऊगंज	रायपुर कर्चुलियान	जवा
		नईगढ़ी	गांगेव	त्योथर
41	सिंगरौली	निरंक	चितरंगी	देवसर
				बेढन
42	सीधी	सीधी	सिहावल	रामपुर नैकिन
			कुसमी	मझौली
43	सतना	चित्रकूट (मझगवां)	नागौद	रामपुर बाघेलान
		सुहावल (सतना)	अमरपाटन	मैहर
		उचहेरा	रामनगर	

नर्मदापुरम संभाग

44	होशंगाबाद	सोहागपुर	सिवनी मालवा	होशंगाबाद
		केसला	पिपरियां	बाबई
				बनखेड़ी
45	बैतूल	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	प्रभातपट्टन
		आमला	मुलताई	भैंसदेही
		शाहपुर	आठनेर	भीमपुर
			चिचोली	
46	हरदा	निरंक	निरंक	हरदा
				टिमरनी
				खिरकिया

शहडोल संभाग

47	शहडोल	सोहागपुर	बुढ़ार	ब्योहारी
			पाली(नं1) गोहपारू	जयसिंह नगर
48	उमरिया	निरंक	मानपुर	उमरिया (करकेली)
				पाली नं. 2
49	अनूपपुर	निरंक	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर
				जैतहरी
				कोतमा

क्रमांक	जिला	प्रथम चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम	तृतीय चरण में शामिल विकासखण्ड का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		चम्बल संभाग		
50	भिण्ड	मिहोना (रोन)	अटेर	महगांव
		लहार	भिण्ड	गौहद
51	श्योपुर	निरंक	कराहल	श्योपुरकलां
				विजयपुर
52	मुरैना	अम्बाह	मुरैना	सबलगढ़
		पोरसा	जौरा	केलारस
				पहाड़गढ़
महायोग		**85**	**110**	**118**

__*_*_*__